व्यवहार न्यायालय, रांची में किराये पर वाहन देने हेतु नियम एवं शर्तें

1– एजेंसी द्वारा व्यवसायिक रूप से झारखण्ड राज्य अन्तगर्त निबन्धित वाहन उपलब्ध कराना होगा।

2– वाहन के मासिक विपत्र में नियमानुसार सेवा कर संहिता अन्य सभी करों के रूप में देय राशि का अलग–अलग उल्लेख करना होगा।

3– वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर एजेंसी को अविलम्ब उसी प्रकार के वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था दो घंटों के अन्दर करनी होगी। यदि एजेंसी वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होंगे तो निबन्धक, व्यवहार न्यायालय, रांची को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य एजेन्सी से तत्काल भाड़े पर वाहन लें तथा उसका पूरा व्यय एजेंसी को वहन करना होगा।

4– अनुबन्ध के समय एजेंसी को लिखित घोषणा पत्र (UNDERTAKING) समर्पित करना होगा कि चालक का भुगतान उनके द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

5– एजेंसी को एकरारनामा सम्पादित होने के एक सप्ताह के अन्दर वाहनों की आपूर्ति करनी होगी। यदि वाहनों की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होंगे तो उनका अनुबन्ध/एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा एवं सुरक्षित राशि जब्त कर ली जायेगी।

6– यदि कोई वाहन चालक अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो एजेंसी को उसके स्थान पर अविलम्ब अन्य किसी चालक की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। विलम्ब की स्थिति में प्रतिघन्टा रू०–100/– की दर से भुगतान में कटौती की जायेगी। पूरे दिन वाहन चालक की अनुपस्थिति में रू०–1000/– प्रतिदिन के आधार पर भुगतान में से कटौती की जायेगी।

7– एजेंसी को वाहन चालक को आवश्यक नकद राशि सुलभ कराना होगा ताकि वाहन में किसी प्रकार की आकस्मिक खराबी होने पर चालक द्वारा उसकी अविलम्ब मरम्मति कर ली जाये।

8– वाहन की सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी एजेंसी की होगी।

9– वाहन का उपयोग सामान्यतः कार्य दिवसों में किया जायेगा परन्तु आवश्यकतानुसार उपयोग कार्यालय अवधि के उपरान्त एवं कार्य समाप्ति तक किसी भी समय (अवकाश की तिथियों) किया जा सकता है।

10– वाहन अथवा वाहन चालक को बदलने से पूर्व एजेंसी को निबन्धक, व्यवहार न्यायालय, रांची से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा बिना अनुमति के एजेंसी के द्वारा चालक अथवा वाहन को नहीं बदलेंगे।

11– एजेंसी के द्वारा भाड़े पर दिये गये वाहन निबन्धक, व्यवहार न्यायालय, रांची के आदेशानुसार संचालित होंगे एवं एजेंसी के द्वारा वाहन का उपयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी।

12– उपरोक्त अनुशंसित मासिक किराया के अलावे एजेंसी को अलग से किसी भी तरह का राशि देय नहीं होगा।

13– किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में विभाग/कार्यालय प्रधान को विपत्र से आवश्यक कटौती करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

14– ईंधन की आपूर्ति विभाग (निबन्धक, व्यवहार न्यायालय, रांची) के द्वारा की जायेगी एवं शेष मेन्टेनेन्स यथा चालक, वाहन की मरम्मति आदि में होने वाले व्यय का वहन वाहन मालिक के द्वारा की जायेगी।

15– वाहन उपयोग के दौरान वाहन चालक अथवा वाहन को किसी प्रकार की दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारणवश होने वाले क्षति का दायित्व निबन्धक, व्यवहार न्यायालय, रांची का नहीं होगा।

16– भाड़े पर दिये जाने वाले वाहन पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त एवं दोषपूर्ण नहीं होने चाहिये। वाहन यांत्रिक रूप से सही तथा सुरक्षित दशा में होना चाहिये।

17— एजेंसी को प्रत्येक वाहन का प्रतिदिन के प्रतिष्टियों का नियमानुसार लॉग बुक संधारण करना होगा (यथा आरम्भ किलोमीटर रीडिंग, अन्त किलोमीटर रीडिंग, कुल तय दूरी, आरम्भ समय तथा अन्त समय प्रतिदिन) आदि का वाहन के प्रत्येक परिचालन पर चालक एवं वाहन उपयोग करने वाल पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर अंकित होना चाहिये।

18— वाहन में किसी प्रकार की मरम्मति एवं रख—रखाव एजेंसी को स्वयं करनी होगी।

19— वाहन में हमेशा/प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में निबन्धक, व्यवहार न्यायालय, रांची के द्वारा ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा।

20— वाहन के आगे तथा पीछे भाग में **"व्यवहार न्यायलाय, रांची"** का बोर्ड एजेंसी को अपने खर्च पर लगाना होगा।

21— वाहन में साफ तौलिया, रेडियो, कार परफ्यूम, मोबाईल चार्जर तथा मॉनसून समय में वाहन में छाता की सुविधा एजेंसी को अपने व्यय पर उपलब्ध कराना होगा।

22— प्रत्येक सप्ताह एजेंसी को वाहन में लगे तौलिया का धुलाई अपने व्यय पर कराना होगा एवं अन्य एस्सेसरीज को चालू एवं उपयोगी स्थिति में रखना होगा।

23— चालक के अद्यतन ड्राइविंग लाईसेन्स (LMV) तक चारित्री एवं स्वस्थ होने सम्बन्धी घोषणा पत्र (UNDERTAKING) एजेंसी को देना होगा।

24— वाहन से संबंधित सभी आवश्यक कागजात वाहन चालक के जिम्मे होलना चाहिये। ट्रैफिक नियमों के उलंघन एवं कागजातों के जांच होने पर दण्ड द्वारा आरोपित शुल्कों के भुगतान की जिम्मेवारी एजेंसी की होगी।

25— चालक का आचरण अपराध रहित होना चाहिये। निबन्धक, व्यवहार न्यायालय, रांची द्वारा आववश्यकता पड़ने पर चालक का पुलिस सत्यापन कराया जा सकता है। चालक को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिये।

26— चालक की सेवा संतोषप्रर्द नहीं रहने की स्थिति में एजेंसी को चालक को बदलना होगा।

27— ज्ञापांक **3296/वि०** दिनांक **15.09.2014** के द्वारा निगर्त वित्त विभाग के संकल्प एवं तत्संबंधी समय—समय पर निगर्त निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

28— एजेंसी के द्वारा जो भी वाहन उपलब्ध कराया जायेगा वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन का वाहन होगा।

<u>भुगतानः—</u>

1— एजेंसी को वाहनवार मासिक राशि भुगतान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में बीते माह का विपत्र (लॉगबुक के साथ) प्रस्तुत करना होगा।

2— किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में निबन्धक, व्यवहार न्यायालय, रांची को भुगतान में कटौती करने का अधिकार होगा।

3— वाहनवार मासिक विपत्र से अनुमान्य आयकर तथा सरकार को देय करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

4— ईंधन की आपूर्ति निबन्धक, व्यवहार न्यायालय, रांची द्वारा कराया जायेगा।

5— वाहनों की संख्या एवं प्रकार आवश्यकतानुसार घट या बढ़ सकती है। निबन्धक, व्यवहार न्यायालय, रांची जारी आदेश के अगले दिन से वाहनो/वाहन की संख्या/प्रकार संशोधित करने की जिम्मेवारी एजेंसी की होगी।

<u>नोटः—</u>

नियम एवं शर्तों से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा रांची स्थित न्यायालय के अन्तगर्त होगा।

कार्यालय, प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, राँची।

नोटिस

न्यायमंडल, राँची में न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य हेतु किराये पर पांच चार पहिया वाहन (TATA INDIGO / ZEST / SWIFT DESIRE / SUMO GOLD / BOLERO) की आवश्यकता है, जो कामर्शियल वाहन हो, तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो एवं अच्छी कंडीशन में हो। इस संदर्भ में इच्छुक एजेंसियां अपना कोटेशन **दिनांक 23/03/2023 से दिनांक 29/03/2023 के बीच तक 04:30 pm बजे तक** व्यवहार न्यायालय, राँची के नजारत कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। विस्तृत विवरण, नियम एवं शर्तें नजारत, व्यवहार न्यायालय, रांची एवं सिविल कोर्ट के वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/ranchi** से प्राप्त किया जा सकता है।

ह०/–
प्रभारी न्यायाधीश
व्यवहार न्यायालय
राँची